

# ।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 3557/12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

24/01

2024 ।

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
थराली ।

विषय:-

जनपद चमोली में कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 6.459 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं।

1- प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की पिलर बंदी नहीं की गयी है। जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लग रहा है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का भू-चिन्हांकन व पिलरबंदी सम्पूर्ण लम्बाई में मानक के अनुसार करें ताकि वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षों की संख्या पता लगे व कम से कम वृक्षों की क्षति हो। पिलर बंदी उपरान्त प्रभावित वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न किया जाये तथा वैकल्पिक संरक्षण का भी पुनः परीक्षण करें।

2- प्रत्येक पिलर का क्रमांक सहित प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार संधारित किया जाये।

क- प्रस्तावक विभाग 25मी० की दूरी पर प्रत्येक पिलरों का रिकॉर्ड रखेगा जिसमें ढाल तथा पिलरों की दूरी अवश्य अंकित की जाये।

ख- वन विभाग प्रत्येक पिलर के मध्य प्रभावित होने वाले वृक्षों (प्रजातिवार, व्यास वर्गवार), भूमि (आरक्षित, सिविल, पंचायती, नाप) का पूर्ण विवरण संधारित करेंगे।

3- पूर्व में थराली से वाण लगभग 52किमी० की सड़क पूर्व से निर्मित हो रखी है तथा उक्त स्थल से दिदिना की दूरी लगभग 05किमी० बताया गया है। प्रस्तावित मार्ग विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जाये।

4- प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 9.5 किमी० में प्रस्तावित की गयी है। जबकि पूर्व से निर्मित मोटर मार्ग से दिदिना की दूरी लगभग 05किमी० बतायी गयी है। उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई को न्यून करने पर विचार किया जाये।

5- प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण हेतु 0.19है० आरक्षित वन भूमि व 0.207 है० सिविल भूमि लिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करना है कि मलवा निस्तारण स्थल वन भूमि से अन्यत्र भूमि में लिया जाये।

अतः उपरोक्त दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार अनुपालन करने के पश्चात् आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

निर्गमनाथ प्राधिकृत

Jay  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(बनोत्पी)

(सर्वेश कुमार)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 3557

/ 12-1

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल को उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रस्तावक विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रकरण में प्रस्तावक विभाग द्वारा नियमानुसार पिलर बंदी करने के पश्चात् प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना कर वृक्षों की गणना सूची प्रस्तावक विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

निर्गमनाथ प्राधिकृत

Jay  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(बनोत्पी)

o/c